श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर—452 007
दूरभाष : 0731—2432822, फैक्स : 0731—2536600

क्रमांकः 7/3/अन्वे./पांच/2019/43231-344 इंदौर, दिनांक 24/11/2020

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश.

2. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

A.C. (N. Jain)

3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

CMC

विषयः— मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018 अंतर्गत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा संबल पोर्टल पर स्वीकृत प्रकरणों में संबंधित हितग्राहियों को भुगतान हेतु कोषालय से जनपद पंचायत/ नगरीय निकायों को सीधे अंतरित राशि का विवरण।

संदर्भः— 1— श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन का परिपत्र क्रमांक 756/595/2019/ ए—16 दिनांक 20.06.2019.

2— मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का पत्र क्रमांक 1320/1721/2019/ए—16 दिनांक 09.09.2019.

विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत योजना आरम्भ से दिनांक 15 जून, 2019 तक म.प्र. असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल से पदाभिहित अधिकारियों को संबल पोर्टल पर स्वीकृत प्रकरणों के लिए संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत किए गए प्रकरणों में हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान हेतु कोषालय से संबंधित निकायों के खाते में सीधे राशि अंतरित की गई है। शासन स्तर पर निर्णय उपरान्त श्रम विभाग, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 756/595/2019/ए—16 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से योजना अंतर्गत पंजीबद्ध श्रमिकों की पात्रता के परीक्षण हेतु भौतिक सत्यापन अभियान चलाकर पात्र एवं अपात्र श्रमिकों को चिन्हित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, के पत्र क्रमांक 1320/1721/2019/ए—16 दिनांक 09.09.2019 में यह निर्देश जारी किया गया कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि संबंधित योजना में अपात्र व्यक्तियों को लाभ प्राप्त न हो। साथ ही वर्तमान में सत्यापन उपरान्त अपात्र पाए गए व्यक्तियों को छोड़कर लंबित प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त निर्देश के परिपालन में संबंधित निकायों द्वारा दिनांक 16 जून, 2019 से दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 तक स्वीकृत प्रकरणों में से भौतिक सत्यापन में अपात्र पाए गए प्रकरणों को छोड़कर केवल पात्र पाए गए श्रमिकों को अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान हेतु कोषालय के माध्यम से सीधे संबंधित निकायों के खाते में धनराशि अंतरित की गई।

...2

इस प्रकार स्पष्ट है कि योजना आरम्भ से 15 जून, 2019 तक संबंधित निकायों द्वारा संबल पोर्टल पर स्वीकृत किए गए अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में संबंधित हितग्राहियों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु धनराशि सीधे कोषालय से संबंधित जनपद और निकायों के खाते में अंतरित की गई है।

उसके पश्चात शासन के उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 जून, 2019 से 05 दिसम्बर, 2019 के मध्य संबल पोर्टल पर अनुग्रह सहायता के स्वीकृत प्रकरणों में से भौतिक सत्यापन में पात्र पाए गए प्रकरणों में संबंधित हितग्राहियों को भुगतान हेतु संबंधित निकायों के खाते में सीधे कोषालय से राशि अंतरित की गई है।

सी.एम. हेल्पलाइन में अनेक शिकायतें ऐसी लंबित हैं जिनमें शासन स्तर पर संबंधित निकायों को भुगतान हेतु राशि प्राप्त होने के उपरान्त भी उनके द्वारा संबंधित हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया है। आपकी सुविधा के लिए आपके जिले में योजना आरम्भ से उपरोक्तानुसार 05 दिसम्बर, 2019 तक उपलब्ध कराई गई राशि का निकायवार ब्यौरा संलग्न है।

कृपया संबंधित निकायों को निर्देशित कर उक्त अवधि के लम्बित भुगतान तत्काल दिनांक 27.11.2020 तक कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— 1— संदर्भित पत्रों की प्रतियाँ।
2— जिलेवार/निकायवार अंतरित राशि का विवरण।

24/11/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश

क्रमांकः 7/3/अन्वे./पांच/2019/43945-43400 इंदौर, दिनांक 24/11/2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त सहायक श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश अपनी क्षेत्राधिकारिता के जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों को विवरण उपलब्ध कराते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें व निकायवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
4. समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश अपनी क्षेत्राधिकारिता के जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों को विवरण उपलब्ध कराते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें व निकायवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

24/11/2020
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश